रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-सी.एच.-अ.-26092020-222035
CG-CH-E-26092020-222035

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 391] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2020/आश्विन 3, 1942
No. 391] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2020/ASVINA 3, 1942

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़

अधिसूचना

चंडीगढ़, 9 जुलाई, 2019

सं. V-17020/46/2019-आईएनआई-II.—स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, केंद्रीय सरकार के विगत अनुमोदन से स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम, 1966 (1966 का 51) की धारा 32 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, विनियम, 1967 में निम्नानुसार संशोधन कर निम्नलिखित विनियम बनाए जाते हैं; नामत:-

1. (1) इन विनियमों को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (संशोधित) विनियम, 2019 के नाम से जाना जा सकता है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, विनियम 1967 में:-

(अ) विनियम 34 अब विनियम 34 (1) के तौर पर पुनरंकित होगा और इस प्रकार पुनरंकित उपविनियम (1) के बाद अंत में निम्नलिखित उपविनियम जोड़े जाएंगे, नामत:-

"(2) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त संकाय के साथ अनुसूची Iए के विनिर्देशानुसार निर्धारण प्रोन्नति योजना के अंतर्गत प्रोन्नत संस्थान के संकाय की संयुक्त वरिष्ठता कथित योजना के अनुरूप निर्धारित की जाएगी।",

(ब) अनुसूची I के बाद, निम्न अनुसूची जोड़ी जाएगी, नामत:-

"अनुसूची 1 ए

[विनियम 34(2) देखें]

संकायों के लिए निर्धारण प्रोन्नति योजना

1. मुख्य विशेषताएं

I. निर्धारित चयन प्रक्रिया के अधीन तीन वर्षों की सेवा के बाद सहायक आचार्य, सह-आचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

II. निर्धारित चयन प्रक्रिया के अधीन तीन वर्षों की सेवा के बाद सह-आचार्य, अपर आचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

III. निर्धारित चयन प्रक्रिया के अधीन चार वर्षों की सेवा के बाद अपर-आचार्य, आचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

2. अनुप्रयोग

यह योजना सह-आचार्य, अपर आचार्य और आचार्य के पदक्रमों में संकाय पदों की प्रोन्नतियों के लिए लागू होगी।

3. पात्रता

संस्थान में तत्संबंधी पदक्रमों में तीन वर्षों की नियमित सेवा के साथ सहायक आचार्य और सह-आचार्य तथा चार वर्षों की नियमित सेवा के साथ अपर आचार्य क्रमश: सह-आचार्य, अपर आचार्य और आचार्य के तौर पर प्रोन्नति के पात्र होंगे। अन्य शर्तें, जैसे कि सीधी भर्तियों के लिए उच्चतर योग्यताएं, पूरी करनी आवश्यक नहीं।

4. आवधिकता एवं महत्वपूर्ण तिथि

निर्धारण मण्डल वर्ष में एक बार बैठक करेगा और उस वर्ष 30 जून तक आवश्यक पात्रता सेवा पूरी करने वाले सभी व्यक्तियों की उपयुक्तता पर विचार करेगा तथा इस योजना के अंतर्गत सभी प्रोन्नतियां 1 जुलाई से प्रभावी होगी।

5. वरिष्ठता सूची

लागू नियमों के अनुसार, संकाय के सभी पदक्रमों के लिए सीधी भर्ती हो सकती है और उसी समय नियुक्ति के लिए हर मौके पर चयन हो सकता है, लेकिन एक से अधिक शिक्षण-शाखाओं में। संस्थान की संयुक्त वरिष्ठता सूची निम्नानुसार कार्यान्वित की जाएगी:-

I. प्रत्येक श्रेणी में संस्थान के कर्मचारियों की वरिष्ठता, योग्यता के क्रम अनुसार नियमन 34 के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित की जाएगी, जिसमें उन्हें संबद्ध पदक्रम में नियुक्ति के लिए चुना गया था, जो प्रारंभिक मौके पर चुने गए वे बाद में चुने गए संवर्ग से वरिष्ठ पद पर होंगे।

II. एक ही चयन समिति में चुने गए व्यक्तियों की वरिष्ठता सूची को बनाने में निम्न कदम उठाए जाएंगे, नामत:-

कदम-1

पहले पदभार ग्रहण करने वालों को बाद में पदभार ग्रहण करने वालों से ऊपर रखते हुए, उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि के आधार पर व्यक्तियों की सूची बनाना।

कदम-II

उक्तानुसार तैयार सूची में, एक ही तिथि को पदभार ग्रहण करने वालों को आयु के क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है- अर्थात् पहले जन्में वाले को बाद में जन्में वाले से ऊपर रखा जाएगा।

कदम-III

जिन्होंने उसी तिथि को पदभार संभाला और आयु के अनुसार जिन्हें कदम-II के अनुसार समायोजित किया गया, उन्हें आगे पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है, ताकि निम्न पद अथवा ग्रेड में संस्थान के कर्मचारियों की मूल अंतर्वरिष्ठता बनाई रखी जा सके। यह कार्य आयु में अधिक होने के बावजूद अब मौजूदा सूची में विगत संयुक्त वरिष्ठता सूची में कनिष्ठ को उसके वरिष्ठ के फौरन बाद रख कर किया जा सकता है।

कदम-IV

उक्त सूची विभागीय योग्यता के उल्लंघन की भूल सुधारों अथवा चयन समिति द्वारा रखी गई वरिष्ठता के लिए अब फिर संशोधित की जा सकती है।

टिप्पणी : उस मामले में जब एक कनिष्ठ संयुक्त और वरिष्ठता सूची में निर्धारण के लिए विचारित किया जा रहा हो, वरिष्ठता सूची में ऐसे कनिष्ठ से सभी वरिष्ठ व्यक्ति सेवा के वांछित वर्षों के न होने के बावजूद वरिष्ठ भी विचारित किए जाएंगे। वरिष्ठ, यदि उपयुक्त पाया गया, तो उसके कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से उसे विचारमूलक पदोन्नति दी जाएगी और वेतन आदि के उद्देश्य के लिए, यह उसे उसकी वास्तविक पदोन्नति की तिथि से प्रदान की जाएगी, अर्थात् संस्थान में जिस पदक्रम में उसने चार वर्ष पूर्ण किए हैं, बशर्ते कि निम्न दो शर्तें पूरी की गयी हों:-

(अ) उसके द्वारा परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण की गई हो।

(ब) सेवा में शामिल होने के लिए दिए गए विस्तार की कुल अवधि छह माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6. निर्धारण प्रक्रिया

निर्धारण मण्डल विभाग अथवा इकाई के अध्यक्ष की अनुशंसाओं, वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के संदर्भ सहित संकाय सदस्यों की कार्यकुशलता और अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए उसकी उपयुक्तता निश्चित करने के लिए साक्षात्कार के समय उसकी कार्यकुशलता को अपने ध्यान में रखेगा। हालांकि, मण्डल ऐसे संकाय सदस्यों की उम्मीदवारी की अनुपस्थित पर भी विचार कर सकता है जो साक्षात्कार के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने में नाकाम रहे।

7. अवसरों की संख्या

संकाय सदस्य तीन वर्षों में स्थायी चयन समिति के सम्मुख प्रस्तुत होने के लिए निरंतर तीन अवसर पाने के पात्र होंगे।

8. वेतनमान

संकायों के वेतनमान विद्यमान वर्तमान दरों के अनुसार लागू हैं, जो समय-समय पर संशोधित होते हैं।

[संदर्भ: भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण मंत्रालय ने अपने अर्धशासकीय पत्र क्रमांक V-16020/35/89-ME (PG) दिनांक 24 दिसंबर, 1991 के अनुसार एम्स, नई दिल्ली/पीजाआईएमईआर, चंडीगढ़ के संकायों के लिए संशोधित निर्धारण पदोन्नति योजना के लागू करने के लिए स्वीकृति प्रदान की। जबकि एम्स, नई दिल्ली/पीजीआई, चंडीगढ़ के संकाय सदस्यों के वेतनमान के संशोधन के लिए भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने पत्र क्रमांक V-16020/41/97-ME (PG) (वॉल्यूम II दिनांक 10 मार्च, 2000) के अनुसार भी 01.07.2000 से अपर आचार्यों से आचार्यों के लिए निर्धारण पदोन्नति योजना के विस्तार के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। आगे, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने पत्र क्रमांक V-16020/57/2008-ME-I दिनांक 12 जनवरी, 2010 और V-16020/11/2009-ME-I दिनांक 30 मार्च, 2011 के अनुसार विचारत: 01.07.2008 से प्रभावी होने वाली शर्तों के अधीन संशोधित पदोन्नति योजना प्रदान की जिसके वेतन निर्धारण और अन्य वित्तीय लाभ 31.12.2008 से मिलेंगे।]"।

संस्थान के प्राधिकारी की ओर से

जगत राम, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./252/2020-21]

पाद टिप्पणी : मूल विनियम सा.कि.नि. संख्या 571 दिनांक 18.4.1967 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित थे तथा संख्या .... द्वारा संशोधित किए गए।

1. भारत सरकार अधिसूचना संख्या ई1.54/69- एमई- पीजीआई दिनांक 24.2.70.
2. भारत सरकार अधिसूचना संख्या ई1.56/69- एमई- (पीजी) दिनांक 26.3.70.
3. भारत सरकार अधिसूचना दिनांक 11.3.74.
4. पीजीआई अधिसूचना संख्या.एफ.3/एनएफ.8 (i)-76 दिनांक 18.5.76.
5. सा.का.नि.अधिसूचना संख्या. इ1(1)–पीजीआई-76 दिनांक 14.9.76.
6. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी.17011/1/77-एमई(पीजी) दिनांक 9.5.78 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित सा.का.नि. अधिसूचना संख्या. इ3/एनएफ/78 दिनांक 18.5.78.
7. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी.17011/1/82-एमई(पीजी) दिनांक 23.3.1984 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पीजीआई अधिसूचना दिनांक 15.6.84
8. पीजीआई अधिसूचना संख्या. इ3/एनएफ/7(II), 80 दिनांक 15.6.84.
9. पीजीआई अधिसूचना संख्या. इ3/एनएफ/84-6804 दिनांक 15.6.84.
10. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17011/3/84-एमई(पीजी) दिनांक 17.12.1984 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पीजीआई अधिसूचना संख्या.इ3/एनएफ/84/74438 दिनांक 26.12.84.
11. भारत सरकार के अनुमोदन सहित पीजीआई अधिसूचना दिनांक 26.12.84.
12. भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अधिसूचना संख्या वी.17011/4/85-एमई(पीजी) दिनांक 13.9.85.
13. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी.17011/4/85-एमई (पीजी) दिनांक 17.10.1985 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पीजीआई अधिसूचना संख्या.इ3/एनएफ./85/61505 दिनांक 17.10.1985.
14. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी.17011/2/88-एमई(पीजी) दिनांक 9/16.8.1989 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पीजीआई अधिसूचना संख्या.इ3/एनएफ./7(II) /88 दिनांक 12.9.1989.
15. पीजीआई अधिसूचना संख्या.31/2/टीआरजी.-68/4476-4527 दिनांक 23.1.96.
16. पीजीआई अधिसूचना संख्या.इ3/एफसीआई(10)/1101 दिनांक 5.5.97.
17. केंद्रीय सरकार के अनुमोदन दिनांक 30.11.98. सहित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 715(इ)-पीजीआई- एमए-98/31599 दिनांक 30.11.98.

18. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र दिनांक 23.2.99 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित अधिसूचना संख्या. जी.एस.आर.152(इ)पीजीआई-एमए 99/4795 दिनांक 24.2.1999.

19. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/24/95-एमइ(पीजी)/एमइ-डेस्क-II दिनांक 12.3.2001 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पीजीआई अधिसूचना संख्या इ3/एनएफ/2001//पीजीआई/722 दिनांक 22.3.2001.

20. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/5/2000-एमइ(पीजी) दिनांक 12.3.2001 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पीजीआई अधिसूचना संख्या. इ2/एनएफ/2001/पीजीआई/4990 दिनांक 30.3.2001.

21. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/21/2000-एमइ(पीजी) (भाग-II), दिनांक 15.5.2002 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पीजीआई अधिसूचना संख्या. इ3/पीजीआई/2002/2748 दिनांक 10.6.2002.

22. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/48/2000-एमइ डैस्क-II, दिनांक 08.07.2002 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पीजीआई अधिसूचना संख्या. इ3/पीजीआई/2002/4056 दिनांक 30.7.2002.

23. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/84/2005-एमइ-II, दिनांक 21.11.2005 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पीजीआई अधिसूचना संख्या. इ3/पीजीआई/2005/7587 दिनांक 21.11.2005.

24. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/10/2007-एमइ-II, दिनांक 15.06.2007 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पीजीआई अधिसूचना संख्या इ3/पीजीआई/2007/2567 दिनांक 13.7.2007.

25. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/10/2008-एमइ-II, दिनांक 18.11.2008 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पीजीआई अधिसूचना संख्या. इ3/पीजीआई/2008/2694 दिनांक 15.12.2008.

26. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/15/2009-एमइ-II, दिनांक 15.7.2009 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पीजीआई अधिसूचना संख्या. इ3/पीजीआई/2009/1962 दिनांक 22.08.2009.

27. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/14/2009-एमइ-II, दिनांक 2.12.2009 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पीजीआई अधिसूचना संख्या. इ3/पीजीआई/2009/2673 दिनांक 23.12.2009.

28. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/56/2011-एमइ-II, दिनांक 26.10.2012 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पीजीआई अधिसूचना संख्या. इ3/पीजीआई/2012/1719 दिनांक 27.11.2012.

29. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/206/2017-आईएनआई-II, दिनांक 20.12.2018 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पीजीआई अधिसूचना संख्या. इ3/पीजीआई/2017/कमेटी ब्रांच 000853 दिनांक 05.08.2017.

30. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/46/2019-आईएनआई-II, दिनांक 28.05.2019 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पीजीआई अधिसूचना संख्या. इ3/पीजीआई/2019/कमेटी ब्रांच 000398 दिनांक 11.04.2019.

POST-GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, CHANDIGARH

NOTIFICATION

Chandigarh, the 9th July, 2019

No.V-17020/46/2019-INI-II .- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 32 of the Post-graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, Act, 1966 (51 of 1966), the Post-graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, with the previous approval of the Central Government, makes the following regulations further to amend the Post-graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, Regulations, 1967, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Post-graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (Amendment) Regulations, 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Post-graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, Regulations, 1967,-

(a) regulation 34 shall be renumbered as regulation 34(1) thereof and after sub-regulation (1) as so renumbered, the following sub-regulation shall be inserted at the end, namely:-

"(2) The combined seniority of faculty of the Institute promoted under the Assessment Promotion Scheme as specified in Schedule IA alongwith the faculty appointed by direct recruitment shall be determined in accordance with the said Scheme.";

(b) after Schedule I, the following Schedule shall be inserted, namely:-

"SCHEDULE IA

[*See regulation 34(2)*]

ASSESSMENT PROMOTION SCHEME FOR FACULTIES

1. SALIENT FEATURES

(i) Assistant Professors with three years of service will be eligible for appointment to the post of Associate Professor subject to clearance of the prescribed selection process.

(ii) Associate Professors with three years of service will be eligible for appointment to the post of Additional Professor subject to clearance of the prescribed selection process.

(iii) Additional Professors with four years of service will be eligible for appointment to the post of Professor subject to clearance of the prescribed selection process.

2. APPLICATION

This scheme shall apply to promotions to the faculty posts in the grades of Associate Professor, Additional Professor and Professor.

3. ELIGIBILITY

Assistant Professors and Associate Professors with three years and Additional Professors with four years of regular service in the respective grades in the Institute shall be eligible for promotion as Associate Professor, Additional Professor and Professor, respectively. No other conditions, such as, higher qualifications as for direct recruits, need be fulfilled.

4. PERIODICITY AND CRUCIAL DATE

The Assessment Board shall meet once a year and consider the fitness of all persons who have completed the requisite eligibility service as on 30th June of that year and all promotions under this scheme shall be effective from 1st July.

5. SENIORITY LIST

As per the rules in force, there can be direct recruitment to all grades of the faculty and selection on each occasion could be for appointment to be made at the same time but in more than one discipline. The combined seniority list of the Institute shall be worked out as follows:-

(i) The seniority of employees of the Institute in each category shall be determined in accordance with the provisions of regulation 34 by the order of merit in which they were selected for appointment to the grade in question, those selected on an earlier occasion being ranked senior as a block to those selected later.

(ii) The preparation of a seniority list of persons selected in the same selection committee would involve the following steps, namely:-

STEP-I

Draw up list of persons on the basis of their date of joining those joining on an earlier date being placed above those joining on a later date.

STEP-II

In the list prepared as above, those who join on the same date may be arranged in order of age-those born earlier being placed above those born later.

STEP-III

For those joining on the same date and adjusted as in Step II above according to their age, further re-arrangement may be carried out so that the original inter-se seniority of the employees of the Institute in the Lower Post or Grade maintained. This operation may be done by pulling down the junior in the previous combined seniority list immediately below his senior in that list now appearing in this list even though he may be elder in age.

STEP-IV

The above list may now be further modified to carry out corrections of violation of departmental merit or seniority laid down by the selection committee. This will be done by pulling the junior down immediately below his senior in merit.

Note: - In case where a junior in the combined and seniority list is being considered for assessment, all persons senior to such junior in the seniority list will also be considered even though the seniors do not have the requisite years of service. The senior, if found fit, will be given notional promotion with effect from the date of promotion of his junior and for purpose of pay, etc., it would be granted to him with effect from the date of actual promotion, i.e., the date on which he completes four years service on the grade at the Institute, provided the following two conditions are fulfilled:-

(a) Probation should have been completed by him successfully.

(b) The total period of extension granted to join the service should not have exceeded six months.

6. ASSESSMENT PROCESS

The Assessment Board shall take into consideration its recommendations of the Head of the Department or Unit, the performance of the faculty members with reference to annual confidential reports and his performance in the interview for deciding his fitness for promotion to the next higher grade. However, the Board may consider in absentia the candidature of such faculty members as are unable to present themselves for interview.

7. NUMBER OF CHANCES

Faculty members would be eligible to avail of three consecutive chances to appear before the Standing Selection Committee in three years.

8. PAY SCALES

The pay scale to the faculties is applicable as per the existing rates which are revised from time to time.

[References: The Government of India, Ministry of Health & Family Welfare vide D.O. letter no. V-16020/35/89-ME(PG) dated 24th December, 1991 conveyed the approval for implementation of the revised Assessment Promotion Scheme for the faculties of AIIMS, New Delhi/PGIMER, Chandigarh. While conveying the revision of scales of pay of the faculty members of AIIMS, New Delhi/PGI, Chandigarh, Government of India, Ministry of Health & Family Welfare vide letter No.V.16020/41/97-ME(PG) (Vol.II dated the 10th March, 2000, has also conveyed their approval for extension of Assessment Promotion Scheme from Additional Professors to Professors w.e.f. 01.07.2000. Further, the Government of India, Ministry of Health & Family Welfare vide their letter No.V.16020/57/2008-ME-I dated the 12th January, 2010 and No.V.16020/11/2009-ME-I dated the 30th March, 2011 conveyed the revised Promotion Scheme which shall be effective from 01.07.2008 notionally subject to condition that pay fixation and other financial benefits shall be from 31.12.2008.]".

By the Authority of the Institute

JAGAT RAM, Director

[ADVT.-III/4/Exty./252/2020-21]

Foot-note : Principal regulations were published in the Gazette of India vide No. G.S.R. 571 dated 18.4.1967 and amended vide nos.

1. GOI Notification No. E1.54/69 ME-PGI dt. 24.2.70
2. GOI Notification No. 1.56/69 ME-(PG) dt. 26.3.70
3. GOI Notification dt. 11.3.74
4. PGI Notification No. F.3/NF 8(i)-76 dated 18.5.76
5. GSR Notification No. EI(1)-PGI-76 dated 14.9.76
6. GSR Notification No. E3/NF/78 dated 18.5.78 with the approval of GOI vide MHFW letter No. V.17011/1/77-ME(PG) dated 9.5.78
7. PGI Notification No. dt. 15.6.84 with the approval of GOI vide MHFW letter No. V.17011/1/82-ME(PG) dated 23.3.1984.
8. PGI Notification No. E3/NF/7(II), 80 dt. 15.6.84.
9. PGI Notification No. E3/NF/84-6804 dt. 15.6.84.
10. PGI Notification No. E3/NF/84/74438 dt. 26.12.84 with the approval of GOI vide MHFW letter No.V.17011/3/84-ME(PG) dated 17.12.1984.
11. PGI Notification No. 26.12.84 with the approval of GOI.
12. GOI MOHFW Notification No.V.17011/4/85-ME(PG) dt. 13.9.85.
13. PGI Notification No. E3/NF/85/61505 dt. 17.10.85 with the approval of GOI vide MHFW letter No. 17011/4/85-ME(PG) date 17.10.1985.
14. PGI Notification No. E3/NF/7(ii) /88 dated 12.9.1989 with the approval of GOI vide MHFW letter No. V.17011/2/88-ME(PG) dated 9/16.8.1989.
15. PGI Notification No. 31/2-Trg.-68/4476-4527 dt. 23.1.96.
16. PGI Notification No.E3/FCI(10)/1101 dt. 5.5.97.
17. Notification No. GSR 715(E)-PGI-MA-98/31599 dt. 30.11.98 with Central Government approval dt. 30.11.98.

18. Notification No. G.S.R.152(E)PGI-MA-99/4795 dt. 24.2.1999 with the approval of GOI vide MHFW letter dated 23.2.1999.

19. PGI Notification No.E3/NF/2001/PGI/722 dated 22.3.2001 with the approval of GOI 20 vide MHFW letter No.V.17020/24/95-ME (PG)/ME Desk-II dated 12.3.2001.

20. PGI Notification No.E2/NF/2001/PGI/4990 dated 30.3.2001 with the approval of GOI vide MHFW letter No. V.17020/5/2000-ME (PG) Dated 12.3.2001.

21. PGI Notification No.E3/PGI/2002/2748 dated 10.6.2002 with the approval of GOI MOHFW, letter No. V.17020/21/2000-ME(PG) (Part-II), dated 15.5.2002.

22. PGI Notification No.E3/PGI/2002/4056 dated 30.07.2002 with the approval of GOI MOHFW, letter No. V.17020/48/2000-ME Desk-II, dated 08.07.2002.

23. PGI Notification No.E3/PGI/2005/7587 dated Chd. 21 Nov., 2005 with the approval of GOI MOH&FW, letter No. V.17020/84/2005-ME-II, dated 21.11.2005.

24. PGI Notification No. E3/PGI/2007/2567 dated 13.7.2007 with the approval of GOI, MOHFW letter No. V.17020/10/2008-ME-II dt. 15.06.2007

25. PGI Notification No. E3/PGI/2008/2694 dated 15.12.2008 with the approval of GOI, MOHFW letter No. V.17020/10/2008-ME-II dt. 18.11.2008.

26. PGI Notification No. E3/PGI/2009/1962 dated 22.08.2009 with the approval of GOI, MOHFW letter No. V.17020/15/2009-ME-II dt. 15.07.2009.

27. PGI Notification No. E3/PGI/2009/2673 dated 23.12.2009 with the approval of GOI, MOHFW letter No. V.17020/14/2009-ME-II dt. 2.12.2009.

28. PGI Notification No.PGI/E3/2012/1719 dated 27.11.2012 with the approval of GOI, MOHFW Letter No.V-17020/56/2011-ME-II dated 26.10.2012.

29. PGI Notification No.E3/PGI/2017/Commbra000853 dated 05.08.2017 with the approval of GOI, MOHFW letter No.V.17020/206/2017-INI-II dated 20.12.2018.

30. PGI Notification No.E3/PGI/2019/Commbra000398 dated 11.04.2019 with the approval of GOI, MOHFW letter No.V.17020/46/2019-INI-II dated 28.05.2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.09.26 17:16:32 +05'30'